

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(16/18)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती कविता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराडा (जिला अजमेर) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस. आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 30.11.2016 से 29.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 30.11.2018 से 16.02.2019 तक 79 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 17.02.2019 से 12.03.2019 तक 24 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 13.03.2019 से 29.11.2019 तक 262 दिवस का असाधारण अवकाश।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(16/18)/2018/1105

दिनांक:- 01/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अराँई (जिला अजमेर)।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराडा (जिला अजमेर)।
4. प्रधानाचार्य, आर.आर. नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अजमेर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर